G.Mail / FAX

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
1, तिलक मार्ग, लखनऊ

परिपत्र संख्याः डीजी–31/2017 　　　　　　　　　　दिनांकः सितम्बर 01 , 2017

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश ।

समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे,
उत्तर प्रदेश ।

विषयः अभिलेखों का रख–रखाव ।

हाल में झांसी में सेना की गोपनीय सूचनाएँ लीक करने का एक प्रकरण प्रकाश में आया है । इस प्रकरण से विदेशी जासूसों की ऐसी कार्यप्रणाली प्रकाश में आई है जिससे सभी सरकारी कर्मियों को सचेत रहना चाहिये ।

2– अभी तक की विवेचना से प्रकट हुआ है कि विदेश से "Call Spoofing" व सिम बॉक्स से कॉल करके स्वयं को सेना का अधिकारी बता कर सेना की सूचनाएँ ली जा रही थीं ।

3– इस संदर्भ में पुनः निर्देश जारी किए जाते हैं कि "शासकीय गोपनीयता अधिनियम" के प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों और सूचना का रख–रखाव किया जाये । नई सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में और भी ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है । इस विषय में निम्न निर्देशों का विशेष ध्यान रखा जाये –

1. वर्गीगृत (Classified) अभिलेखों के संबंध में प्रचलित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये ।
2. सूचना साझा करने से पहले हमेशा सुनिश्चित कर लें कि (1) वह व्यक्ति सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत है या नहीं और (2) आप सूचना देने के लिये विभाग से अधिकृत हैं या नहीं ?
3. फोन पर सूचना मांगे जाने पर, सूचना मॉगने वाले व्यक्ति की पुख्ता पहचान कर ली जाये, तदुपरान्त बिन्दु 2.(2) को ध्यान में रख कर सूचना दी जाये । फोन पर किसी भी अधिकृत या अनधिकृत स्तर से सूचना मांगे जाने पर किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कोई सूचना न दी जाये। फोन पर किसी प्रकार का संवाद या सूचना का प्रेषण कार्यालयाध्यक्ष/ अधिकृत स्तर से ही किया जाये ।

4. जब भी कॉल करने वाले के बारे में संदेह हो तो आप स्वयं उस नंबर पर कॉल कर के देखें । कॉल स्पूफिंग होने पर उस नंबर पर कॉल नहीं लगेगा । नंबर के बारे में संबन्धित विभाग की टेलीफोन दिग्दर्शिका या वैबसाइट पर देख कर चेक कर सकते हैं । यह कार्य अधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही किया जाये ।
5. अगर विदेशी नम्बरों या 10 अंकों से कम अंकों के नम्बर के माध्यम से कोई व्यक्ति सूचना मांग रहा हो तो कदापि न दें तथा इस बात को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाये ।
6. अगर कोई व्यक्ति विदेश से फोन करता है और आपके फोन पर भारत का नम्बर प्रदर्शित होता है तो इस बात को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने के साथ—साथ तत्काल इस सूचना को 1963 या 1800110420 पर दें ।
7. लैण्ड लाइन फोन पर भी कॉलर आई0डी0 अवश्य लगवायें ।
8. संबंधित व्यक्ति को उतनी ही सूचना दी जाए, जितनी आवश्यक हो । अनावश्यक व अतिरिक्त विवरण अगर जरूरत न हो, प्रदान न किये जायें ।
9. जो सूचना इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजी जाती है, उसे भेजने के लिये राजकीय ई—मेल gov.in या nic.in का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा इसका इन्द्राज भी डाकबही या रजिस्टर में करना चाहिये ।
10. संवेदनशील सूचनायें ENCRYPT करके या पासवर्ड प्रोटेक्ट करके भेजी जानी चाहिये तथा पासवर्ड दूसरे माध्यम से संबंधित को भेजा जाना चाहिये ।

11— वाट्स एप या दूसरे मैसेजिंग सर्विसेज का इस्तेमाल महत्वपूर्ण/गोपनीय सूचनाओं के लिए नहीं किया जाना चाहिये ।

1/9/17

(सुलखान सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु :—

1— समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स/रेलवे, उ0प्र0 ।
2— समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवे, उ0प्र0 ।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।